CORO

ग्रासरूट्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम (GLDP) 2027

सूचना पत्र

प्रिय साथी/संगठन प्रतिनिधि

सस्नेह नमस्कार!

'कोरो इंडिया' पिछले 37 वर्षों से वंचित समुदायों में नेतृत्व विकास का कार्य कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही वंचित समूहों के संस्था/संगठनों के प्रतिनिधियों की क्षमता विकसित करते हुए उनकी सामूहिक प्रक्रियाओं को और मजबूत करने पर भी कोरो इंडिया जोर दे रहा है। यह प्रक्रिया 2008 से महाराष्ट्र में 'ग्रासरूट्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम' GRASSROOT LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM (GLDP) के माध्यम से अधिक व्यापक और संगठित रूप से लागू की जाने लगी। आगे 2015 में इसका विस्तार राजस्थान में भी किया गया।

पिछले 16 वर्षों में महाराष्ट्र और राजस्थान के वंचित समुदायों के 2581 लीडर्स और 1017 संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया है। (इन संगठन प्रतिनिधियों में से अधिकांश CBOs से हैं)। इन लीडर्स के माध्यम से 25 लाख लोगों तक सीधी पहुँच बनाई जा सकी है।
"जिनका सवाल, उनका नेतृत्व" मूल्य पर आधारित समुदाय से नेतृत्व उभरना चाहिए, इसके लिए वंचित समूहों से जुड़ना, उन्हें समझना, उनके मुद्दों को समझकर समुदाय के संस्था/संगठन में नेतृत्व की पहचान करना, उन्हें GLDP प्रक्रिया में लाना, उनके मुद्दों को हल करने के लिए आगे निरंतर काम करना - इस क्रम में कोरो वंचित समुदाय से जुड़कर काम कर रहा है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि के संदर्भ में, संस्था/संगठनों को GLDP **कार्यक्रम के बारे में अपनी संस्था के संबंधित लीडर के साथ गहन और ध्यानपूर्वक चर्चा करना आवश्यक है।** कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रतिनिधि का चयन करना संस्था/संगठन और लीडर दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

इसलिए कार्यक्रम के लिए प्रतिनिधियों के नाम प्रस्तावित करते समय चयन मानदंड पर ध्यानपूर्वक विचार करें। जिन व्यक्तियों के नाम सुझाए जाएंगे, उनके साथ इस पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के संदर्भ में पूर्व चर्चा करके कार्यक्रम में उनकी भूमिका, जिम्मेदारी और भागीदारी के बारे में स्पष्टता लाना संस्था/संगठन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए चुने गए लीडर से न केवल कार्यक्रम अवधि के दौरान, बल्कि उसके बाद भी संस्था/संगठन से जुड़कर काम करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए नाम प्रस्तावित करते समय संस्थाओं/संगठनों को इस बात पर विचार करना चाहिए।



आवेदन संबंधी जानकारी

ग्रासरूट्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम (GLDP) के लिए कौन सी संस्थाएं/संगठन आवेदन कर सकते हैं:

- **संस्था/संगठन/समिति / महिला मंडल / युवा मंडल/अनौपचारिक समूह जो कम से कम 3 वर्षों से सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में लगातार कार्यरत हैं।**
- ऐसी संस्थाएं/संगठन/समिति/महिला मंडल/युवा मंडल/अनौपचारिक समूह, जो मुख्य रूप से महिलाओं, ट्रांसजेंडर, दलित, आदिवासी, विमुक्त-घुमंतु, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े तथा वंचित समुदायों के मुद्दों/प्रश्नों पर काम कर रहे हैं।
- महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नेतृत्व वाले संस्थाओं / संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- संस्थानों / संगठनों की प्रशिक्षण, बैठकों, असाइनमेंट, क्रॉस-लर्निंग और अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक समय देकर सक्रिय भागीदारी की तैयारी होनी चाहिए।
- संस्था का ई-मेल आईडी और लीडर/फेलो का ई-मेल आईडी होना अनिवार्य है, **यदि ई-मेल आईडी नहीं है तो संस्था प्रतिनिधि को इसे बनाना होगा।**
- **संस्थानों/संगठनों को ऐसे ही संभावित लीडरों/आवेदकों के नाम का सुझाव देना चाहिए जिन्हें इस अवधि के दौरान किसी अन्य संस्था/संगठन से फेलोशिप न मिल रही हो। साथ ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान यदि कोई दूसरी फेलोशिप (जिसमें वित्तीय लाभ शामिल हो) मिली या ली गई, तो लीडर को इस नेतृत्व कार्यक्रम से रोक दिया जाएगा।**
- **पिछले लगातार 3 वर्षों से इस GLDP कार्यक्रम में भाग ले रहे संस्था/संगठन लगातार चौथे वर्ष GLDP के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।**
- **किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल से जुड़े संगठन से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले या पद धारण करने वाले व्यक्ति और संबंधित संस्था/संगठन इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।**
- **इस नेतृत्व कार्यक्रम में चयनित लीडरों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। यदि लीडर का कोई निकट संबंधी (पति/पत्नी/सगा भाई/बहन, माता, पिता, बेटा, बेटी) किसी राजनीतिक चुनाव में खड़ा होता है, तो वे इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, लीडर की किसी भी चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी (प्रचार-प्रसार आदि) नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो लीडर को इस नेतृत्व कार्यक्रम से हटा दिया जाएगा।**

ग्रासरूट्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम (GLDP) के लिए संस्था/संगठन की ओर से लीडर के रूप में कौन भाग ले सकता है:

- ग्रासरूट नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए एक संस्था/संगठन से अधिकतम 5 संभावित लीडरों के नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं। इनमें कम से कम 3 आवेदन महिला एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों के होने अपेक्षित हैं।
- आवेदक संबंधित संस्था/संगठन के साथ कम से कम 2 वर्षों से कार्यरत होना चाहिए।
- संस्था प्रमुख स्वयं लीडर के रूप में आवेदन न करें।
- आवेदक में नेतृत्व क्षमता, सीखने की इच्छा और सामाजिक बदलाव के लिए काम करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से अपने नेतृत्व को विकसित करने और साबित करने की तैयारी होनी चाहिए।
- आवेदक प्रमुखतः उसी गाँव/बस्ती का निवासी होना चाहिए जहाँ वह काम करने जा रहा है।
- आवेदक का संबंधित संस्था/संगठन के प्रमुख या मुख्य पदाधिकारियों के साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- आवेदकों के चयन में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।



- कोई शैक्षणिक शर्त नहीं: शिक्षा की कोई शर्त नहीं है; केवल काम करने की लगन और 2 साल का अनुभव आवश्यक है।
- आवेदन के समय आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- **संस्था/संगठनों को केवल ऐसे ही संभावित लीडरों/आवेदकों के नाम का सुझाव देना चाहिए जिन्हें इस अवधि के दौरान किसी अन्य संस्था/संगठन से फेलोशिप न मिल रही हो। साथ ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान यदि कोई दूसरी फेलोशिप (जिसमें वित्तीय लाभ शामिल हो) मिली या ली गई, तो लीडर को इस नेतृत्व कार्यक्रम से रोक दिया जाएगा।**
- **किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल से जुड़े संगठन से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले या पद पर कार्यरत व्यक्ति और संबंधित संस्था/संगठन इस कार्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।**
- **इस नेतृत्व कार्यक्रम में चयनित लीडरों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। यदि लीडर का कोई निकट संबंधी (पति/पत्नी/सगा भाई/बहन, माता, पिता, बेटा, बेटी) किसी राजनीतिक चुनाव में खड़ा होता है, तो वे इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, लीडर की किसी भी चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी (प्रचार-प्रसार आदि) नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो लीडर को इस नेतृत्व कार्यक्रम से हटा दिया जाएगा।**

ग्रासरूट्स नेतृत्व विकास कार्यक्रम (GLDP) का स्वरूप:

- ग्रासरूट नेतृत्व विकास कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की होगी।
- ग्रासरूट नेतृत्व विकास कार्यक्रम के तहत **लीडरों के लिए 5 प्रशिक्षण** और संस्था/संगठन के प्रमुखों के लिए 4 प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- प्रत्येक प्रशिक्षण की अवधि लगभग **4 से 5 दिनों** की होगी। लीडर के साथ-साथ संबंधित संस्था/संगठन प्रमुख की सभी प्रशिक्षणों में **सक्रिय एवं पूर्ण भागीदारी अनिवार्य होगी।**
- कार्यक्रम की एक वर्ष की अवधि के दौरान प्रत्येक लीडर को **प्रति माह रु. 6000/- मानदेय** दिया जाएगा। (उपलब्ध फंड/संसाधनों पर निर्भर करेगा)
- ग्रासरूट नेतृत्व विकास कार्यक्रम की प्रक्रिया के तहत संस्था/संगठन के प्रतिनिधि को नेतृत्व विकास के लिए **मानदेय** दिया जाएगा। एक लीडर के चयन पर **रु. 25000/-** और दो लीडरों के चयन पर **रु. 50000/- की राशि** दो किस्तों में दी जाएगी। (उपलब्ध फंड/संसाधनों पर निर्भर करेगा)
- संस्था प्रतिनिधि और लीडर द्वारा वर्ष भर किए गए कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए वर्ष के अंत में प्रत्येक लीडर को ग्रासरूट कार्यक्रम के लिए रु. 10,000/- दिए जाएंगे।
- कार्यक्रम अवधि के दौरान आयोजित होने वाले **सभी प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं और संबंधित कार्यक्रमों का खर्च कोरो इंडिया द्वारा वहन किया जाएगा।**



ग्रासरूट्स नेतृत्व कार्यक्रम (GLDP) में अपेक्षाएं:

- जिस लीडर का नाम आप प्रस्तावित करेंगे, उसका ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। यदि लीडर के पास ईमेल आईडी नहीं है, तो संस्था प्रतिनिधि को उनका ईमेल आईडी बनाकर देना होगा।
- निःशुल्क सहभागिता : इस कार्यक्रम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
- लीडर तथा संस्था/संगठन प्रतिनिधि की संबंधित प्रशिक्षणों, बैठकों एवं अन्य कार्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य है।
- लीडर और संस्था/संगठन प्रमुख द्वारा **कार्य असाइनमेंट और रिपोर्ट समय पर पूरी करना,** साथ ही लीडर के व्यक्तिगत विकास और कार्य प्रगति की **समय-समय पर समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना** अपेक्षित है।
- उपरोक्त अपेक्षाएं पूरी न करने पर तथा गैर-जिम्मेदाराना/अनुशासनहीन व्यवहार पाए जाने पर लीडर एवं संस्था/संगठन का कार्यक्रम में सहभागिता रद्द कर दी जाएगी।
- यदि आपका चयन होता है, तो इस नेतृत्व कार्यक्रम के दौरान आप कोई अन्य फेलोशिप नहीं ले सकते/भाग नहीं ले सकते हैं।
- कार्यक्रम के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से हासिल करने के लिए लीडर और संस्था/संगठन से **आपसी समन्वय, जिम्मेदारी और निरंतर सहभागिता** बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
- कार्यक्रम के दौरान कोई समस्या आने पर फेलो/लीडर और संस्था/संगठन को **कोरो इंडिया की टीम के साथ समय पर चर्चा करनी चाहिए**, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।

प्रस्तावित संख्या: ग्रासरूट्स नेतृत्व कार्यक्रम के तहत कुल 240 लीडरों का चयन किया जाएगा। इनमें से महाराष्ट्र से 120 और राजस्थान से 120 लीडरों का चयन किया जाएगा। तदनुसार संबंधित संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया समय सारणी (Schedule) और पद्धति:

- उपरोक्त सभी कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य और संभाग स्तर पर एक स्वतंत्र चयन समिति का गठन कोरो और कोरो की प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में शामिल संस्थाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों तथा संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के अंतिम अधिकार कोरो इंडिया के पास रहेंगे।
- संस्था/संगठन प्रमुखों/प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के सभी चरणों की प्रक्रिया में भाग लेना होगा।
- संपूर्ण चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी।



चरण	प्रक्रिया	अवधि	पद्धति	जिम्मेदार निकाय
प्रारंभ	**आवेदन स्वीकार करना**	16 नवंबर से 30 नवंबर	ऑनलाइन / ऑफलाइन	संस्था संगठन प्रतिनिधि/चयन समिति सदस्य
चरण १	**स्क्रूटनी (छंटनी)**	1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक	आंतरिक सत्यापन	चयन समिति सदस्य/कोरो टीम
चरण २	**फील्ड विजिट (Field Visits)**	11 दिसंबर से 30 दिसंबर	संभागीय प्रत्यक्ष मुलाकात	चयन समिति सदस्य/कोरो टीम
चरण ३	**साक्षात्कार**	1 जनवरी से 7 जनवरी 2027	प्रत्यक्ष / ऑनलाइन	चयन समिति सदस्य/कोरो टीम
चरण ४	**अंतिम सूची का प्रकाशन**	10 जनवरी 2027	प्रत्यक्ष	चयन समिति सदस्य/कोरो टीम

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध होंगे:

ऑनलाइन विकल्प:

- संस्था/संगठन CORO INDIA की वेबसाइट (www.coroindia.org) पर जाकर पहले परिचय पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: (https://apply.coroindia.org/apply)
- वेबसाइट पर अपनी सहमति देने के बाद आप पंजीकरण कर सकेंगे।
- पंजीकरण के बाद संस्था द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म का लिंक दिए गए ई-मेल आईडी पर प्राप्त होगा।
- आवेदन भरते समय प्रस्तावित **संभावित लीडरों के नाम लिखना अनिवार्य है।**
- संस्था का पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद उसे विधिवत जमा करें।
- इसके बाद लीडर/फेलो द्वारा आवेदन करने का लिंक संस्था द्वारा दिए गए ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा।
- संस्था के ई-मेल आईडी पर प्राप्त लिंक पर क्लिक करके संस्था प्रमुख और लीडर संयुक्त रूप से फॉर्म भरें। साथ ही यह फॉर्म भरते समय लीडर/फेलो का ई-मेल आईडी लिखना अनिवार्य है।
- आवेदन में दी गई **सभी जानकारी सही और पूर्ण होना आवश्यक है।**
- **संस्था प्रतिनिधि और लीडर द्वारा भरा गया फॉर्म उनके ई-मेल आईडी पर प्राप्त होगा।**

ऑफलाइन विकल्प:

- यथासंभव सभी लोग ऑनलाइन आवेदन ही भरें। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं भर सकते हैं, केवल वही ऑफलाइन फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें। (इन नंबरों पर केवल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही संपर्क करें)

संपर्क व्यक्ति का नाम	पूजा	सीमा कुमारी	जयेश
संपर्क क्रमांक	8058066227	7733854727	7909708464

